

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1790 / 2019

दिनांक : 12.09.2019

श्री बालकृष्ण कटारा (RJ0660), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) को दिनांक 16.09.2019 से 30.09.2019 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिनांक 14.09.2019 से 15.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) के पद पर ही होने की सम्भावना है।

आज्ञा से


12-9-19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/28/2011/ 8670

दिनांक : 12.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 9423 दिनांक 04.09.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री बालकृष्ण कटारा (RJ0660), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)।


सहायक रजिस्ट्रार